

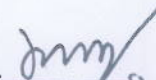
राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक: एफ 1 (स)(5)स्था./डीटीए/ 5343-5418

दिनांक : 13.06.2018

कार्यालय आदेश

विभागीय कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1(स)(5)स्था./डीटीए/4968-5040 दिनांक 09.05.2018 के द्वारा मंत्रालयिक संवर्ग के प्रशासनिक अधिकारी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी वरिष्ठ सहायक एवं कनिष्ठ सहायक की दिनांक 01.04.2018 की स्थिति दर्शाते हुए अन्तरिम वरिष्ठता सूची जारी की जाकर 15 दिवस की अवधि में आपत्तियां आमंत्रित की गई थी। निर्धारित अवधि तक अन्तरिम वरिष्ठता सूची के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण आदेश क्रमांक 4968-5040 दिनांक 09.05.2018 के द्वारा जारी मंत्रालयिक संवर्ग की जारी अन्तरिम वरिष्ठता सूची को ही अन्तिम वरिष्ठता सूची समझा जावे।

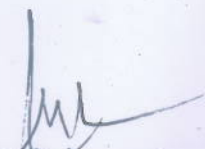

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक: एफ 1 (स)(5)स्था./डीटीए/ 5343-5418

दिनांक : 13.06.2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कोषाधिकारी (शहर/ग्रामीण) जोधपुर/उदयपुर।
2. उपनिदेशक (आई.टी) को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को डीटीए की साईट पर अपलोड करावे।
3. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदया।
4. श्री पद.....
5. निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (प्रशासन)